\

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04/2025	04.08.2025	18.2.2026

विजय पुत्र रामस्वरूप, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा ——प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशी पत्नी रूपचंद, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
2. जीतराम पुत्र रामस्वरूप, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
3. रामपति पत्नी रामस्वरूप, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
4. सम्पत्ति पत्नी भरतलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
5. रूपचंद पुत्र गंगाधर, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
6. भरतलाल पुत्र गंगाधर, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
7. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील तलावडा ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणी की सहखातेदारी की भूमि जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 112, 113 ग्राम रामगढ मुराडा मे स्थित है। उक्त जमाबंदियो मे प्रार्थी का नाम विजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम विजय पुत्र रामरूवरूप है। प्रार्थी रेल्वे मे नोकरी करता है तथा सर्विस रिकॉर्ड मे भी प्रार्थी का नाम विजय पुत्र रामस्वरूप है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 112, 113 ग्राम रामगढमुराड़ा की जमाबंदी मे प्रार्थी का गलत नाम विजेन्द्र पुत्र रामरूवरूप के स्थान पर विजय पुत्र रामस्वरूप दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 112, 113 ग्राम रामगढ मुराडा, फोटोकोपी अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेल्वे मंत्रालय का पहचान पत्र विजय पुत्र रामस्वरूप प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक भूअ/25/1418 दिनांक 03.09.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का खेडाबाढरामगढ की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम में वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:33:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 112, 113 मे प्रार्थी का नाम विजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। मौका पर्चा तथा प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों मे प्रार्थी का सही नाम विजय पुत्र रामस्वरूप अंकित है तथा मौका पर्चा बनाते समय उपस्थित व्यक्तियों ने भी आवेदक/प्रार्थी का सही नाम विजय पुत्र रामस्वरूप जाति मीना हो बताया है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 112, 113 ग्राम रामगढ मुराडा में दर्ज नाम विजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर विजय पुत्र रामस्वरूप दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.2.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:33:01 IST
Reason: SelfAttested